कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्र.फा.50(3)सविरा/मोने/एस.ए/बजट घोषणा 2015–16/बि.सं. 81,104/16 दिनांक 13/6/16

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0
जयपुर ।

विषय : बजट घोषणा वर्ष 2016–17 के बिन्दु सं. 104 पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणा की क्रियान्विति हेतु दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के अनुमोदन बाबत।

प्रसंग : आपका पत्रांकः फा.अति./5% ब्याज छूट योजना/2016–17/141 दिनांक 4.4.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2016–17 के बिन्दु सं. 104 पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणा की क्रियान्विति हेतु आपके द्वारा प्रेषित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान योजना का अनुमोदन आयोजना एवं वित्त विभाग द्वारा कुछ शर्तो (नोटशीट की प्रतियॉ संलग्न) के साथ किया गया है।

आयोजना विभाग एवं विभाग की शर्तो के साथ अनुमोदित योजना की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया बजट घोषणा का समयबद्व क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

SD
(शिवजीलाल चौपडा)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग)

क्र.फा.50(3)सविरा/मोने/एस.ए/बजट घोषणा 2015–16/बि.सं. 81,104/16 दिनांक 13/6/16

प्रतिलिपि : वरिष्ठ प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय जयपुर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

246

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मोनेटरिंग)

S.N. 31 (R)

162

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

अति-आवश्यक

332
06/06/2016

क्रमांकः प.17(17)सह/2014

जयपुर, दिनांकः 31.05.2016

रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः बजट घोषणा वर्ष 2016–17 के बिन्दु संख्या 104 पर माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई घोषणा के क्रम में।

संदर्भः आपका पत्रांक फा. 50(3)सविरा/मोने/एस.ए./बजट घोषणा 2016–17(बि.सं. 104)/ 2016/788 दिनांक 11.04.2016

Add (mont)

महोदय,

1 JUN 2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा वर्ष 2016–17 के पैरा संख्या 104 के क्रियान्वयन हेतु आपके संदर्भित के द्वारा प्रेषित प्रस्तावित "5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना" का अनुमोदन समसंख्यक पत्रावली की नोटशीट के अनु. 172–173/एन् में आयोजना विभाग द्वारा अंकित टिप्पणी एवं अनु. 174–175/एन् में वित्त विभाग द्वारा अंकित शर्तों के साथ किया जाता है।

आयोजना एवं वित्त विभाग द्वारा अंकित टिप्पणी एवं अनुमोदित योजना की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(एम. डी. मीना)
शासन उप सचिव

S.A
7-6-16

2601
2/6/16

213-139
163

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

वर्ष 2016-17 के लिए 'दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना'

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014-15 में बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 106 के द्वारा दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा की थी। इसी तरह वर्ष 2015-16 मे भी बिन्दु संख्या 81 के द्वारा भी दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना दिये जाने की घोषणा की गई थी इस हेतु 30.00 करोड रुपये बजट प्रावधान किया गया था।

वर्ष 2016-17 में भी बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 104 के द्वारा इस योजना में भूमि विकास बैंका के द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों का लाभ State Land Development Bank के माध्यम से दिया जायगा एवं **इस हेतु 15.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।**

(1) पात्रता :

1. **राज्य के सभी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा दिनांक 01.04.2014 से वितरित दीर्घ अवधि के कृषि ऋण मामले योजनान्तर्गत ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत वार्षिक अनुदान के पात्र होंगें वे निम्नानुसार है:-**
   - **लघु सिंचाई** – नवकूप/नलकूप, कूप गहरा, पम्पसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण इत्यादि।
   - **कृषि यंत्रीकरण** – ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेशर, कम्बाईन हार्वेस्टर इत्यादि।
   - **कृषि सम्बद्ध गतिविधियां** – डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबन्दी/बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, उंट/बैल गाड़ी क्रय हेतु इत्यादि
2. पात्र उद्देश्यों हेतु दिनांक 1.4.2014 से 31.03.2017 तक वितरित ऋणों की वित्तीय वर्ष 2016-17 में बनने वाली मॉग का समय पर चुकारा करने वाले ऋणी कृषकों द्वारा देय ब्याज में से राज्य सरकार के हिस्से के रूप में 5.00 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में देय होगी।
3. ऋणी कृषक द्वारा मूलधन की मांग एवं ब्याज का समय पर चुकारा किया जाना इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने की पूर्व अनिवार्यता होगी।
4. ऋण/ब्याज का समय पर चुकारा करने में चूक करने वाले ऋणी कृषकों को योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान सहायता तत्काल रोक दी जावेगी एवं पूर्व में प्रदान की गई ब्याज अनुदान लाभ की राशि की वसूली को छोडकर, भविष्य में किसी भी परिस्थिति में ब्याज अनुदान नहीं दिया जावेगा।

(2) **योजना की अवधि :**

यह योजना 1 अप्रेल, 2016 से 31 मार्च 2017 तक के लिए लागू होगी।

शासन उप सचिव (प्रथम)
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

214 / 140
164

(3) ब्याज की गणना :

ब्याज की कुल मांग में से किसान के हिस्से की ब्याज की राशि वसूल कर शेष ब्याज अनुदान की राशि राज्य सरकार के नामे ऋणी के खाते में अंकित की जावेगी। यदि नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाता है तो भी राज्य सरकार का हिस्सा परिवर्तनीय नहीं होगा अर्थात ब्याज अनुदान 5.00 प्रतिशत ही दिया जावेगा।

(4) ब्याज अनुदान राशि उपलब्ध कराने की प्रकिया :

4.1 राज्य सरकार की बजट घोषणा के अन्तर्गत योजना की स्वीकृति पश्चात् ब्याज अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेन्सी राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, जयपुर के पी.डी. खाते में निम्नानुसार हस्तांतरित की जावेगी :–

1. बजट प्रावधान रू. 15.14 करोड़ का 50 प्रतिशत तक – 30.04.2016
2. शेष रू. 7.57 करोड़ – 30.09.2016

दिनांक 31.03.2017 तक वितरित ऋण के पेटे योजनान्तर्गत उपयोग की गई ब्याज अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल एजन्सी द्वारा राज्य सरकार को 30.04.2017 तक प्रस्तुत किया जावेगा।

4.2 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा अनुदान दावे मासिक रुप से माह समाप्ति के दस दिवस के भीतर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को प्रस्तुत किये जावेंगे।

4.3 निर्धारित दावा प्रपत्र में योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान के दावे प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा सम्बन्धित प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक को राशि जारी कर दी जावेगी।

(5) दावों का प्रमाणीकरण :

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक निर्धारित दावा प्रपत्रों (**परिशिष्ट –1, 2 एवं 3**) में प्रस्तुत दावों का, ऋण पर्यवेक्षक/शाखा सचिव/लेखाकार की अनुशंषा के आधार पर सैम्पल चैकिंग करते हुए सचिव, सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा प्रमाणीकरण किया जावेगा।

(6) दावों का समाशोधन :

योजना के प्रावधानानुसार दिनांक 01.04.2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों की वित्तीय वर्ष 2016–17 में बनने वाली मॉग का ऋणी द्वारा समय पर चुकारा किए जाने की स्थिति में ही 5 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाकर कृषको को लाभान्वित किया जा सकेगा।

(7) नॉडल एजेन्सी :

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के दीर्घ अवधि के पात्र ऋणियों को ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने की योजना की कियान्विति हेतु राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक नॉडल एजेन्सी होगा।

(8) उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रेषण :

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास से दावा राशि प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋणी के खाते में ब्याज राशि का समायोजन करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र नॉडल एजेन्सी को भिजवाये जाने होंगे।

शासन उप सचिव (प्रथम)
[illegible]
शा[illegible] [illegible]पुर

(9) **किसानों को रसीद :**

राज्य सरकार द्वारा रियायत की राशि ऋणी के खाते में जमा करने के उपरान्त प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अनुदान राशि की रसीद ऋणी को प्रदान की जावेगी। रसीद में **"राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई ब्याज अनुदान राशि ` ....''** का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावेगा।

(10). **अन्य :–**

अ. योजना के सफल कियान्वयन हेतु राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करेगा जिसकी अनुपालना प्रत्येक प्राथमिक भूमि विकास बैंक को अनिवार्यतः करनी होगी।

ब. योजना राज्य के सभी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में लागू होगी।

स. राज्य सरकार एवं राज्य भूमि विकास बैंक का यह अधिकार होगा कि इस योजना के परिपेक्ष्य में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के रिकार्ड का औचक निरीक्षण स्वयं अथवा किसी एजेन्सी के माध्यम से करवा सकेंगे।

द. यदि आगामी वर्षों में बजट घोषणा की जाती है तो नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा प्रथमतः सम्पूर्ण वर्ष में देय ब्याज अनुदान राशि का आँकलन किया जावेगा तथा उस वर्ष के लिए आवश्यक अनुदान राशि का निर्धारण करने के बाद शेष रहे प्रावधान का उपयोग नये दीर्घावधि ऋणों के वितरण उद्देश्य के लिए किया जावेगा, ताकि उस वर्ष में देय कुल अनुदान राशि उपलब्ध बजट प्रावधान से अधिक नहीं हो।

द. **योजना की कियान्विति हेतु समय–समय पर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देश मान्य होंगे।**

216 परिशिष्ट – 1 142 166

दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना 2016–17 का दावा प्रपत्र

(शाखावार एवं श्रेणीवार वर्गीकरण)

नाम प्राथमिक भूमि विकास बैंक : ....

शाखा का नाम : ....

(दावों की अवधि : दिनांक .... से दिनांक .... तक)

वर्ग	खातों की संख्या	देय मांग			देय ब्याज (कॉलम सं. 4 में से)	
		मूलधन	ब्याज	योग	किसान से प्राप्त वसूली	रियायत राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
सामान्य						
अनुसूचित जाति						
अनु.जनजाति						
योग						

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार किसानों की ओर तालिका में वर्णित मांग में मूलधन एवं ब्याज में किसान के हिस्से की वसूली प्राप्त हो गई है। सम्बन्धित ऋणियों के खातों में राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत देय रियायत राशि फिलहाल राज्य सरकार के नामे लिखी गई है तथा राज्य सरकार द्वारा देय रियायत राशि का उल्लेख कर दिया गया है।

उपरोक्त खातों की ऋणीवार विस्तृत सूचना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर उपलब्ध है, जिसके आधार पर दावे प्रस्तुत किये गये हैं, जो सही है।

दिनांक :

हस्ताक्षर सचिव :

नाम :

मुहर :

नोट : उपरोक्त दावा प्रपत्र मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक देय मांग के आधार पर अलग–अलग शीट्स में प्रस्तुत किये जावेंगे।

222

परिशिष्ट – 2

दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना 2016–17 का दावा प्रपत्र

(शाखावार इकजाई)

नाम प्राथमिक भूमि विकास बैंक : ....

(दावों की अवधि : दिनांक .... से दिनांक .... तक)

शाखा का नाम	खातों की संख्या	देय मांग			देय ब्याज (कॉलम सं. 4 में से)	
		मूलधन	ब्याज	योग	किसान से प्राप्त वसूली	रियायत राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
योगः						

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार किसानों की ओर तालिका में वर्णित मांग में मूलधन एवं ब्याज में किसान के हिस्से की वसूली प्राप्त हो गई है। सम्बन्धित ऋणियों के खातों में राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत देय रियायत राशि फिलहाल राज्य सरकार के नामे लिखी गई है तथा राज्य सरकार द्वारा देय रियायत राशि का उल्लेख कर दिया गया है।

उपरोक्त खातों की ऋणीवार विस्तृत सूचना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर उपलब्ध है, जिसके आधार पर दावे प्रस्तुत किये गये हैं, जो सही है।

दिनांक :

हस्ताक्षर सचिव :

नाम :

मुहर :

नोट : उपरोक्त दावा प्रपत्र मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक देय मांग के आधार पर अलग–अलग शीट्स में प्रस्तुत किये जावेंगे।

उक्त योजना की अवधि 31 मार्च 2017 तक विस्तारित की गई है जिसके अन्तर्गत 1.4.2014 से 31.3.2017 तक वितरित ऋण भी योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु सम्मिलित होंगे।

शासन उप सचिव (प्रथम)
सहकारिता विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

218 **परिशिष्ट – 3** 179 168

दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना 2016–17 का दावा प्रपत्र

(श्रेणीवार इकजाई)

नाम प्राथमिक भूमि विकास बैंक : ....

(दावों की अवधि : दिनांक .... से दिनांक .... तक)

श्रेणी	खातों की संख्या	देय मांग			देय ब्याज (कॉलम सं. 4 में से)	
		मूलधन	ब्याज	योग	किसान से प्राप्त वसूली	रियायत राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
सामान्य						
अनुसूचित जाति						
अनु. जनजाति						
योगः						

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपराक्तानुसार किसानों की ओर तालिका में वर्णित मांग में मूलधन एव ब्याज म किसान के हिस्से की वसूली प्राप्त हो गई है। सम्बन्धित ऋणियों के खातों में राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में 5.00 प्रतिशत देय रियायत राशि फिलहाल राज्य सरकार के नामे लिखी गई है तथा राज्य सरकार द्वारा देय रियायत राशि का उल्लेख कर दिया गया है।

उपरोक्त खातों की ऋणीवार विस्तृत सूचना प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक स्तर पर उपलब्ध है, जिसके आधार पर दावे प्रस्तुत किये गये हैं, जो सही है।

दिनांक :

हस्ताक्षर सचिव :

नाम :

मुहर :

नोट : उपरोक्त दावा प्रपत्र मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक देय मांग के आधार पर अलग–अलग शीट्स में प्रस्तुत किये जावेंगे।

उक्त योजना की अवधि 31 मार्च 2017 तक विस्तारित की गई है जिसके अन्तर्गत 1.4.2014 स 31.3.2017 तक वितरित ऋण भी योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु सम्मिलित होंगे।

शासन उप सचिव (प्रथम)

169

टिप्पणी (क्रमिक)

डायरी संख्या | रा.सं.2

172. अ0वि0 पत्रावली के अनु. 162–171/NID में वर्णित प्रस्ताव के क्रम में बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 104 के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत 5 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना का आयोजना विभाग द्वारा अनुमोदन किया जाता है एवं प्रावधित राशि 20.00 करोड रू. उपलब्ध कराये जाने पर सहमति प्रदान की जाती है।

173. यह शासन सचिव, आयोजना से अनुमोदित है।

20.5.16

(के.सी.शर्मा)

संयुक्त सचिव, (ज0श0)

शासन सचिव

वित्त (व्यय) विभाग (contd)

I.D. 58/PL/5/16 20.5.16

FSE_Finance 1s1600211

Contd

9

174

आई. डी पत्रावली के पैरा 168–173/एन के क्रम में वित्त विभाग की टिप्पणी निम्नानुसार है:–

प्र.वि. के प्रस्तावानुसार बजट घोषणा संख्या 104 की कियान्विति हेतु प्रस्तावित कार्य योजना पर वित्त विभाग की निम्न शर्तों के साथ सहमति प्रदान की जाती है:–

(अ) **राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की 'दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना'–**

1. ऋण वितरण करते समय अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु आयोजना विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए निर्धारित प्रतिशत को ध्यान में रखा जावे।
2. राशि जारी करने हेतु प्रस्ताव भिजवाते समय यह प्रमाण–पत्र अंकित किया जावे कि योजना की शर्तों की पूर्ण पालना की गई है।
3. दिनांक 31.05.2016 तक वितरित ऋणों के ब्याज अनुदान के दावे प्राप्त होने पर प्राप्त दावे तक राशि जून 2016 में जारी की जावेगी।
4. दिनांक 30.09.2016 तक वितरित ऋणों के ब्याज अनुदान के दावे प्राप्त होने पर राशि रु. 15.00 करोड़ या प्राप्त दावे (जो भी कम हो) तक राशि अक्टूबर 2016 में जारी की जावेगी।
5. (i) दिनांक 29.02.2017 तक वितरित ऋणों के ब्याज अनुदान के दावे मार्च 2017 में प्राप्त होने पर राशि रुपये 15.00 करोड में से शेष रही राशि या प्राप्त दावे (जो भी कम हो) तथा

   (ii) राशि रु. 15.00 करोड में से शेष रही राशि दिनांक 31.03.2017 तक संभावित वितरित ऋणों के ब्याज अनुदान के दावों के विरूद्ध राशि मार्च 2017 में अग्रिम दिया जाना प्रस्तावित है।
6. दिनांक 31.03.2017 तक वितरित ऋणों के ब्याज अनुदान के दावों का 15 अप्रेल, 2017 तक भुगतान करने के पश्चात् यदि राशि शेष रहती है, तो अप्रेल, 2017 तक राजकोष में जमा करावें अथवा वर्ष 2017–18 में प्राप्त दावों के पेटे समायोजित की जावे।
7. Nodal agency (SLDB) will assess the subsidy amount payable in the whole year first and after earmarking required subsidy amount for the same year, remaining amount of provision after subsidy disbursement will be utilised by SLDB for the purpose of fresh long term agricultural loans, so that total subsidy in the year 2016-17 may not exceed the available budget provision Rs. 15.00 Cr. for subsidy.
8. बजट घोषणा के अनुसार राशि रु. 15.00 करोड़ अथवा वास्तविक प्राप्त दावे (जो भी कम हो) तक का ही ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इससे अधिक प्राप्त दावों का राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ब) **अपैक्स बैंक की 'दीर्घकालीन/मध्यकालीन ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना'–**

1. ऋण वितरण करते समय अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना हेतु आयोजना विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो की पालना करते हुए निर्धारित प्रतिशत को ध्यान में रखा जावे।
2. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार केन्द्रीय सहकारी बैंकों की CRAR का संधारण सुनिश्चित किया जावेगा।

प.17(17)सह/2017

171

डायरी संख्या

टिप्पणी (क्रमिक)

3 राशि जारी करने हेतु प्रस्ताव भिजवाते समय यह प्रमाण–पत्र अंकित किया जावे कि योजना की शर्तों की पूर्ण पालना की गई है।

4. दिनांक 31.05.2016 तक वितरित ऋणों के ब्याज अनुदान के दावे प्राप्त होने पर प्राप्त दावे तक राशि जून 2016 में जारी की जावेगी।

5. दिनांक 30.09.2016 तक वितरित ऋणों के ब्याज अनुदान के दावे प्राप्त होने पर राशि रु. 5.00 करोड़ या प्राप्त दावे (जो भी कम हो) तक राशि अक्टूबर 2016 में जारी की जावेगी।

6. (i) दिनांक 29.02.2017 तक वितरित ऋणों के ब्याज अनुदान के दावे मार्च 2017 में प्राप्त होने पर राशि रुपये 5.00 करोड में से शेष रही राशि या प्राप्त दावे (जो भी कम हो) तथा

(ii) राशि रु. 5.00 करोड में से शेष रही राशि दिनांक 31.03.2017 तक संभावित वितरित ऋणों के ब्याज अनुदान के दावों के विरूद्ध राशि मार्च 2017 में अग्रिम दिया जाना प्रस्तावित है।

7. दिनांक 31.03.2017 तक वितरित ऋणों के ब्याज अनुदान के दावों का 15 अप्रेल, 2017 तक भुगतान करने के पश्चात् यदि राशि शेष रहती है, तो अप्रेल, 2017 तक राजकोष में जमा करावें अथवा वर्ष 2017–18 में प्राप्त दावों के पेटे समायोजित की जावे।

8. Nodal agency (Apex Bank) will assess the subsidy amount payable in the whole year first and after earmarking required subsidy amount for the same year, remaining amount of provision after subsidy disbursement will be utilised by Apex Bank for the purpose of fresh long term agricultural loans, so that total subsidy in the year 2016-17 may not exceed the available budget provision Rs. 5.00 Cr. for subsidy.

9. बजट घोषणा के अनुसार राशि रु. 5.00 करोड अथवा वास्तविक प्राप्त दावे (जो भी कम हो) तक का ही ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इससे अधिक प्राप्त दावों का राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त टिप्पणी वित्त विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

30.5.16

(अशोक पाठक)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (व्यय–4) विभाग

प्रमुख शासन सचिव,
सहकारिता विभाग

30/5/2016

30/5/16

1316002/1
30.05.2016

175